न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– संजय शर्मा

जी.सी.एम.एस. प्रकरण सं0 2025/152

सिविल प्रकरण संख्याः– 31/2025 तारीख रजू 25.06.2025

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

..........आवेदक

बनाम

1. अशोक कुमार जैन पुत्र श्री लड्डू लाल जैन (विक्रेता एवं प्रोपराईटर) मैसर्स आनन्द स्वीट्स, टोंक बस स्टेण्ड, बजरिया, सवाई माधोपुर 322001

.... अभियुक्त

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)/51 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णयः– **दिनांक 15.12.2025**

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वेद प्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान (शुद्ध आहार मिलावट पर वार) के तहत दिनांक 28.10.2024 को दोपहर 03.00 पी.एम. पर फर्म आनन्द स्वीट्स टोंक बस स्टेण्ड, बजरिया, सवाई माधोपुर संस्थान पर पहुंचे। जो व्यक्ति मिला उसे उन्होंने अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया उक्त व्यक्ति ने अपना नाम अशोक कुमार जैन पुत्र श्री लड्डू लाल जैन फर्म का विक्रेता एवं प्रोपराईटर होना बताया। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह द्वारा विक्रेता से खाद्य अनुज्ञा पत्र/रजिस्ट्रेशन पत्र एवं स्वयं के आधार कार्ड की छायाप्रति चाही गई, विक्रेता ने मौके पर नहीं होना बताया। तत्पश्चात तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह द्वारा संस्थान का निरीक्षण किया गया कि आम जनता को विक्रय हेतु पनीर लगभग 05 किलोग्राम रखा हुआ था। उक्त **पनीर** में गुणवत्ता/मिलावट होने का अनदेशा होने पर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह वास्ते नमूना जांच हेतु 1 किलोग्राम **पनीर** खरीदकर उसकी कीमत 360/– रूपये विक्रेता अशोक कुमार जैन को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान सुरेश मीना के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह ने हस्ताक्षर किये एवं मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता अशोक कुमार जैन ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर [illegible] फार्म सं0 5ए की एक प्रति अशोक कुमार जैन को देकर रसीद प्राप्त की। तत्कालीन [illegible] सु[illegible] अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह ने खरीदशुदा **पनीर** 1 किलोग्राम को एक [illegible] कर चार प्लास्टिक की बोतलो में

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:35:42 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

बराबर–बराबर भरकर 20–20 बूंदे फार्मेलीन डालकर उनको ऐयरटाईट बन्द कर एवं लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं **H-3577** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक H-3577 नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता अशोक कुमार जैन ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की सात प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे मौके पर नमूना सील किया था। एक नमूना मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नूमना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी।

तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/1325 दिनांक 13.12.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/4798/एक्ट/2024/4753 दिनांक 28.11.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ पनीर, Sub Standard** प्रकृति का होना पाया गया है।

खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा उपस्थित होकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा 46(4) की उप धारा 2.4.6(1) के तहत नमूने की जांच से असन्तुष्ट होते हुए नियमानुसार नियत अवधि में अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) के समक्ष निर्धारित प्रपत्र 8 में नमूने की पुनः जांच हेतु आवेदन कर अपील की जिस अपील को स्वीकार करते हुए अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) द्वारा लिये गये नमूने के द्वितीय भाग को वास्ते जांच हेतु रेफरल लेब में भिजवाया गया एवं प्राप्त हुई रेफरल लेब पूणे की जांच रिपोर्ट संख्या RFL/P/DO-140/25/177/2025 दिनांक 25.02.2025 के अनुसार खाद्य नमूना पनीर Under Section 3(1)(zx)Fo[illegible]y and Standards Act, 2006 के अन्तर्गत सबस्टेण्डर्ड पाया गया है। रिपोर्ट की [illegible] क्रमांक 736 दिनांक 20.05.2025 द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:35:42 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

खाद्य कारोबारकर्ता को भिजवाते हुए एक प्रति तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह को प्राप्त हुई।

अभिहित अधिकारी द्वारा तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह का स्थानान्तरण जिला जयपुर प्रथम हो जाने के फलस्वरूप पत्रावली अभिहित अधिकारी द्वारा आवेदक वेद प्रकाश पूर्विया को उक्त प्रकरण को न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत कर मूल पत्रावली मय पत्रांक एफएसएसए/2025/866 दिनांक 04.06.2025 के साथ आवेदक को सुपुर्द की गई जिसे आवेदक द्वारा मूल पत्रावली वास्ते अभियोजन स्वीकृति हेतु अभिहित अधिकारी को प्रस्तुत की गई। जिस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर ने पत्र क्रमांक एफएसएसए/2025/874 दिनांक 11.06.2025 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्याय निर्णयन आवेदक फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है।

उक्त प्रकरण में अभियुक्त द्वारा **Sub-Standard, पनीर** का विक्रय एवं निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में जुर्माना योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त स्वयं उपस्थित हुये। अभियुक्त ने प्रकरण में जबाब पेश नहीं कर सीधे ही बहस कर प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अभियुक्त ने **Sub-Standard, पनीर** का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है। अतः अभियुक्त को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावे।

अभियुक्त ने बहस में तर्क दिया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा अभियुक्त की फर्म से **खाद्य पदार्थ पनीर** का सेम्पल भरा गया था जिसको पूणे की रेफरल लेब द्वारा मिल्क फेट कम होने के कारण सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का माना गया है। प्रार्थी शुद्ध दूध का उपयोग करता है किन्तु गाय, भैंस दोनो का सम्मिलित दूध होने के कारण फेट की मात्रा कम आई है। प्रार्थी भविष्य में ध्यान रखेगा। अन्त में प्रार्थी ने प्रकरण में गलती मानते हुए न्यूनतम शास्ति लगाकर प्रकरण का निरस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि रेफरल खाद्य लेबोरेट्री, पूणे के सर्टिफिकेट नं0 RFL/P/DO-140/25/177/2025 दिनांक 25.02.2025 के अनुसार खाद्य नमूना पनीर Under Section 3(1)(zx)Food Safety and Standards Act, 2006 के अन्तर्गत सबस्टेण्डर्ड पाया गया है। जोकि जांच रिपोर्ट में निर्धारित मात्रा से कम मिल्क फेट होने के कारण सेम्पल सबस्टेण्डर्ड आया है। अभियुक्त द्वारा दौराने बहस गलती मानकर प्रकरण में न्यूनतम शास्ति लगा करके प्रकरण के निस्तारण का अनुरोध किया गया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:35:42 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner